

प्रेस नोट

क्राइम ब्रान्च व थाना लंका पुलिस द्वारा अपने घर में आईपीएल मैचों में सट्टा खिलवा रहे आदर्श कुमार सिंह सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 अदद मोबाइल फोन व रु-1,90,000/- नगद बरामद।

दिनांक 27.10.2020 को क्राइम ब्रान्च टीम व प्रभारी निरीक्षक लंका महेश पांडेय मय हमराह पुलिस बल के चौकी नगवां क्षेत्र में मौजूद थे व जनपद में हो रहे अपराध एवं अपराधियों के विषय में आपस में बात-चीत कर रहे थे इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आदर्श कुमार सिंह पुत्र शशि प्रकाश सिंह निवासी 30/40 माधव मार्केट थाना लंका वाराणसी के मकान में आईपीएल मैच में सट्टा लगाया जा रहा है। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक लंका द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी से बंद घर की तलाशी हेतु सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम 1867 के अंतर्गत वारंट प्राप्त कर क्षेत्राधिकारी भेलूपुर, क्राइम ब्रान्च टीम व प्रभारी निरीक्षक लंका मय हमराह पुलिस बल के आदर्श कुमार सिंह के मकान के पास पहुँचकर घेराबन्दी कर IPL मैच में हार-जीत की बाजी लगाकर खिलवा रहे आदर्श कुमार सिंह व सट्टा खेल रहे 03 अन्य व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से 05 अदद मोबाइल फोन व रु-1,90,000 नगद (एक लाख नब्बे हजार रुपये) बरामद हुए। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग वाराणसी में आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खेलने वाले व्यक्तियों से मोबाइल फोन से जुड़कर आईपीएल मैचों में प्रतिदिन सट्टा खेलने व खिलाने का काम करते हैं। हम लोग सट्टा खेलने वाले व्यक्तियों से रुपया एकत्रित करने व उनके जीतने पर उनका रुपया पहुंचाने का काम भी करते हैं, बरामद रुपया आज के आईपीएल मैच में लगे सट्टे की वसूली का है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अंकित सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी इकबालपुर थाना सकलडीहा जनपद चंदौली उम्र 25 वर्ष से दो अदद मोबाइल फोन व रु-120,000 (एक लाख बीस हजार) नकद।
2. संजय तिवारी पुत्र अरविंद तिवारी निवासी प्लाट नंबर 139 जानकी नगर कालोनी सामने घाट थाना लंका जनपद वाराणसी उम्र 27 वर्ष। 01 अदद मोबाइल फोन व रु- 40,000/- (चालीस हजार रुपये) नगद।
3. आदर्श कुमार सिंह पुत्र शशि प्रकाश सिंह निवासी मकान नंबर 30/40 माधव मार्केट नगवाँ थाना लंका जनपद वाराणसी उम्र 24 वर्ष। 01 अदद मोबाइल फोन व रु-15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) नगद।
4. अनिल पटेल पुत्र झुलन पटेल निवासी N1/66 B6 सामनेघाट थाना लंका जनपद वाराणसी उम्र 27 वर्ष। 01 अदद मोबाइल फोन व रु-15000 (पन्द्रह हजार रुपये) नकद।

पंजीकृत अभियोग-

➤ मु0अ0स0 0733/2020 धारा-3/4/5 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना लंका वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

➤ 05 अदद मोबाइल फोन व रु-1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार रुपये) नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- क्षेत्राधिकारी भेलूपुर श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक लंका महेश पांडेय, चौकी प्रभारी नगवा उ०नि० श्री प्रकाश सिंह, क्राइम ब्रांच प्रभारी उ०नि० अश्वनी पांडेय, उ०नि० शशी प्रताप सिंह, उ०नि० शेषनाथ गौड़, उ०नि० उपेंद्र यादव, हेड का० उमेश कुमार सिंह, हेड का० सुरेंद्र मौर्य, हेड का० पुनदेव सिंह, हेड का० अमित राय, हेड का० नागेंद्र यादव, का० अविनाश, का० विनय सिंह, का० रामबाबू, का० जितेंद्र सिंह, का० अनुप कुशवाहा, का० आलोक मौर्य, का० अमित शुक्ला, का० बालमुकुंद मौर्य, का० मृत्युंजय सिंह, का० सूरज सिंह, का० नीरज मौर्य, का० वीरेंद्र यादव, का० मनीष कुमार, का० सुमित सिंह, का० भानु सिंह, का० अमित सिंह व महिला का० सारिका सिंह थाना लंका वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

दिनांक 27.10.2020 को आबकारी निरीक्षक मनोज कुमार यादव सेक्टर-4 वाराणसी व चौकी प्रभारी रोडवेज मय हमराह पुलिस बल के क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि विजया नगरम स्थित पार्थ गेस्ट हाऊस में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर आबकारी निरीक्षक मनोज कुमार यादव व चौकी प्रभारी रोडवेज उ0नि0 बृजेश कुमार मिश्रा मय हमराह पुलिस बल के त्वरित कार्यवाही करते हुए पार्थ गेस्टहाऊस के पास पहुँचकर तीन व्यक्ति चन्दन कुमार पुत्र उपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पोस्ट भदसेनी थाना हसुआ जिला नेवादा बिहार, दिनेश कुमार पुत्र दर्शन यादव निवासी ग्राम ईचा तेतरिया थाना फत्तेपुर गया बिहार व मन्टू कुमार पुत्र आसूक यादव निवासी ग्राम हनमन्ता थाना फत्तेपुर गया बिहार को पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से अवैध अंग्रेजी शराब रायल स्टेग ब्राण्ड धारिता 375 ML कुल 09 नग, इम्पीरियल ब्लू ब्राण्ड धारिता 375 ML कुल 02 नग, रायल स्टेग ब्राण्ड धारिता 180 ML कुल 02 नग, इम्पीरियल ब्लू ब्राण्ड धारिता 180 M.L. कुल 05 नग, 04 अदद नकली क्यू आर कोड, 04 अदद मोबाईल फोन व रु0-2600/-नगद बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध थाना सिगरा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को समय करीब 23.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- चन्दन कुमार पुत्र उपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पोस्ट भदसेनी थाना हसुआ जिला नेवादा बिहार।
- दिनेश कुमार पुत्र दर्शन यादव निवासी ग्राम ईचा तेतरिया थाना फत्तेपुर गया बिहार।
- मन्टू कुमार पुत्र आसूक यादव निवासी ग्राम हनमन्ता थाना फत्तेपुर गया बिहार।

बरामदगी का विवरण-

- अवैध अंग्रेजी शराब रायल स्टेग ब्राण्ड धारिता 375 ML कुल 09 नग।
- इम्पीरियल ब्लू ब्राण्ड धारिता 375 ML कुल 02 नग।
- रायल स्टेग ब्राण्ड धारिता 180 ML कुल 02 नग।
- इम्पीरियल ब्लू ब्राण्ड धारिता 180 ML कुल 05 नग।
- 04 अदद नकली क्यू आर कोड।
- 04 अदद मोबाईल फोन।
- रु0-2600/-नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- मनोज कुमार यादव निरीक्षक आबकारी सेक्टर- 4, आशुतोष कुमार ओझा प्रभारी निरीक्षक थाना सिगरा, उ0नि0 बृजेश कुमार मिश्रा-चौकी प्रभारी रोडवेज, उ0नि0 श्री हरिशचन्द्र वर्मा, हे0का0 हरिगेन प्रसाद, का0 राम विलास राजभर, का0 महेन्द्र सरोज आबकारी सेक्टर-4 वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल



प्रेस नोट

दिनांक 27.10.2020 को थाना चेतगंज के उ0नि0 अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी नाटी इमली मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में लकड़ी मण्डी चौराहे पर मौजूद थे, इसी दौरान चौकाघाट चौराहे की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति काफी तेज गति से आते हुए दिखायी दिये, जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे, को मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा रुकने का इशारा किया गया किन्तु गाड़ी चालक द्वारा गाड़ी न रोककर लकड़ी मण्डी तिराहे से अमर उजाला तिराहे की तरफ भागने लगे कि पुलिस बल द्वारा पीछा कर संदिग्ध व्यक्तियों को लकड़ी मण्डी तिराहे से लगभग 200 मीटर आगे रोककर पकड़ लिया गया, जिनकी तलाशी ली गयी तो उनके पास से 01 अदद देशी तमन्चा-12 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस-12 बोर बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा मोटर साइकिल को एमवी एकट में सीज कर अभियुक्तगण महमूद आलम व आकाश विश्वकर्मा को समय करीब 23.14 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- महमूद आलम पुत्र मकबूल आलम निवासी मडुवाडीह चौराहा थाना मडुवाडीह उम्र 28 वर्ष।
- आकाश विश्वकर्मा पुत्र बबलू विश्वकर्मा निवासी बधवा नाला लेवर सट्टी लहसुन गली पप्पू लहसुन वाले के बगल में थाना सारनाथ वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद देशी तमन्चा-12 बोर।
- 03 अदद जिन्दा कारतूस-12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 अमित कुमार सिंह-चौकी प्रभारी नाटी इमली, उ0नि0 मो0 साबिर, हे0का0 केशव प्रसाद , हे0का0 मुख्तार प्रसाद, का0 विनीत कुमार यादव व का0 गौरव कुमार थाना चेतगंज, वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

***लोहता पुलिस द्वारा आईपीएल0 क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे 06 अभियुक्त
गिरफ्तार, कब्जे से 07 अदद मोबाइल फोन व रु0-27910/- नगद बरामदा***

दिनांक 27.10.2020 को थानाध्यक्ष लोहता विश्वनाथ प्रताप सिंह मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में सिकटहवा बाबा के पास मौजूद थे, इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बृजेश कुमार गुप्ता पुत्र छेदी लाल गुप्ता निवासी तेलियाना महमूदपुर थाना लोहता वाराणसी के मकान में सनराइजर्स हैदराबाद व दिल्ली कैपिटल्स के मध्य होने वाले आईपीएल मैच में सट्टा लगाया जा रहा है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 राजेश कुमार सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के बृजेश कुमार गुप्ता के मकान के पास पहुँचकर कमरे में झाँक कर देखा तो कई आदमी एक साथ बैठकर मोबाइल आन कर आईपीएल मैच सनराइजर्स हैदराबाद व दिल्ली कैपिटल्स टीम पर रूपये लगाकर मोबाइल से सट्टा खेल रहे थे। एकबारगी दबिश देकर सट्टा खेल रहे 06 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से 07 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद एटीएम कार्ड, 01 अदद पर्स व रु0-27,910/- नगद बरामद हुए। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अपने घर में आईपीएल0 मैच में सट्टा खिला रहे बृजेश कुमार गुप्ता सहित कुल 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- बृजेश कुमार गुप्ता पुत्र छेदीलाल गुप्ता निवासी तेलियाना महमूदपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 38 वर्ष।
- जय प्रकाश पटेल पुत्र जीयुत पटेल निवासी मथुरापुर भरथरा थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 38 वर्ष।
- सन्तोष कुमार मौर्या पुत्र लालमन मौर्या निवासी भरथरा थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष।
- विकास सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी केराकतपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष।
- चुन्नू कन्नौजिया पुत्र बचाऊ लाल निवासी चांदपुर गोकुल नगर थाना मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र करीब 40 वर्ष।
- विक्की प्रजापति पुत्र शम्भू प्रजापति निवासी केराकतपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01. 07 अदद मोबाइल फोन ।
02. रु0-27,910/- नगद
03. 01 अदद एटीएम इलाहाबाद बैंक
04. 01 अदद पर्स

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष लोहता विश्वनाथ प्रताप सिंह, उ0नि0 चन्द्र प्रकाश यादव, उ0नि0 अक्षय सिंह, उ0नि0 अभिषेक कुमार राय, उ0नि0 राजेश सिंह, का0 रामाश्रय सरोज, का0 अरुण कुमार पाल, का0 शंकर राम, का0 दिवाकर गुप्ता, का0 चा0 हरिराम शुक्ल व म0आ0 आरती थाना लोहता वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 28/10/2020 को थाना रोहनियां के उ0नि0 संतोष कुमार यादव द्वारा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मु0अ0सं0 451/2020 धारा-147/149/332/353/336 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वाँछित अभियुक्त नागेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र शम्भूनाथ मिश्रा निवासी भीमचण्डी थाना रोहनिया वाराणसी को भीमचण्डी तिराहे से समय करीब 10.00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

➤ नागेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र शम्भूनाथ मिश्रा निवासी भीमचण्डी थाना रोहनिया वाराणसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

➤ व0उ0नि0 जमीलुद्दीन, उ0नि0 श्री संतोष कुमार यादव, का0 शीतला प्रसाद व का0 रामध्यान थाना रोहनियाँ जिला वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644,

फैक्स-91-542-2501450,

ईमेल-sspvns-up@nic.in,

Facebook-

policevaranasi

संख्या: पीआरओ 189/2020

दिनांक: अक्टूबर, 28/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 28-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 33 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *45 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। बिना मास्क धारण किये *कुल 1095 व्यक्तियों से रु-41,200/- जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1559 वाहनों का चालान, 09 वाहन को सीज तथा 209 वाहनों से रु-1,68,700/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644,

फैक्स-91-542-2501450,

ईमेल-sspvns-up@nic.in,

Facebook-

policevaranasi

संख्या: पीआरओ 190/2020

दिनांक: अक्टूबर, 28/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे "मिशन शक्ति" अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 28.10.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 157 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 6222 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 1901 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 158 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1056 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। 04 मनचलों का 151 सीआरपीसी में चालान किया गया, 01 व्यक्तियों का 107/116 सीआरपीसी में चालान, 04 व्यक्तियों का एमबी एक्ट में चालान, 12 व्यक्तियों का 34 पुलिस एक्ट में चालान, 02 व्यक्तियों का 188 भादवि की कार्यवाही, व 112 मनचलों को सख्त हिदायत दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।